माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

(इन्दौर केम्प के समक्ष)

R · 1451 - PBR/14 पुनरीक्षण प्रकरण कमांक ...../2014

1. छतरसिंह पिता नरपतसिंह कलौता
2. मदरूसिंह पिता नरपतसिंह कलौता
3. प्रहलाद पिता नरपतसिंह कलौता
4. कैलाश पिता नरपतसिंह कलौता
5. बनेसिंह पिता नरपतसिंह कलौता

सभी निवासी ग्राम सुनाला, तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. राधेश्याम पिता रतनसिंह कलौता
2. श्रीमती सौरमबाई पति सालग्राम कलौता

निवासी ग्राम सुनाला, तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग के द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 168/2010–11 में पारित आदेश दिनांकित 2/4/2014 जिसमें माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर इन्दौर एवं तहसीलदार देपालपुर, इन्दौर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित 29/3/2011 एवं 23/12/2010 को यथावत रखा गया, से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रकरण के तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए प्रस्तुत है।

अविरत ...2.....

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1451–पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–5–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 2–4–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में आवेदकगण द्वारा सीमाकंन प्रकरण बुलवाये जाने की मांग की गई है, जिसे तहसीलदार द्वारा अस्वीकार किया गया है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही में सीमाकंन अवैधानिक होना बताया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमाकंन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि आवेदकगण सीमाकंन से परिवेदित थे तब उन्हें उसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये थी । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन प्रकरण वह इसलिये बुलाना चाहते हैं ताकि उसके आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें । क्योंकि यदि आवेदकगण साक्ष्य में सीमांकन प्रकरण से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसकी सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (रवदीप सिंह) अध्यक्ष	Advocate for the petitioner 22/5/14